



कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड)
ESIC MODEL HOSPITAL NAMKUM RANCHI-834010 (JHARKHAND)
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
(ISO 9001 : 2008 Certified)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Phone & Fax : 0651-2261919, 2260048
(E-mail : mh-ranchi@esic.nic.in)

सं.:602/डब्ल्यू/11/14/पार्किंग/14

दिनांक: 11.12.2014

ईएसआईसीएमएच, नामकुम, राँची में पार्किंग व्यवस्था (अनुबंध पर) के लिये निविदा आमंत्रण सूचना

क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची के परिसर में तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर (जिसे आपसी सहमति और संतोषजनक निष्पादन पर अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) पार्किंग व्यवस्था हेतु निविदा फॉर्म में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाली प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता एजेंसियों से एकल निविदा के अंतर्गत मुहर्बंद कोटेशनस आमंत्रित किए जाते हैं।

निविदा प्रपत्र चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची के कार्यालय से 15.12.2014 से 05.01.2015 तक सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे के बीच (शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक) "ईएसआई फंड खाता सं. 1" के पक्ष में एसबीआई, नामकुम, राँची शाखा में देय डीडी के रूप में ₹.100/- के अप्रतिदेय निविदा मूल्य के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र का विवरण क.रा.बी. निगम की वेबसाइट www.esic.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य यानी ₹. 100/-) "ईएसआई फंड खाता सं. 1" के पक्ष में एसबीआई, नामकुम, राँची शाखा में देय डीडी के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा किया जाना है। ऐसा न करने पर निविदा एकदम निरस्त कर दी जाएगी।

विधिवत भरे हुए निविदा फॉर्म

जमा करने की अंतिम तिथि है : 06.01.2015 (मंगलवार) अपराह्न 02.00 बजे

निविदा खुलने की तिथि : 06.01.2015 (मंगलवार) अपराह्न 02.30 बजे

निविदा फॉर्म के साथ ईएमडी की राशि ₹. 3,500/- "ईएसआई फंड खाता सं. 1" के पक्ष में एसबीआई, नामकुम, राँची शाखा में देय डीडी के रूप में जमा की जानी है। अन्य सभी नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची न्यूनतम या किसी निविदा को स्वीकार करने का वचन नहीं देते और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है।

ह0/-

चिकित्सा अधीक्षक



कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड)

ESIC MODEL HOSPITAL NAMKUM RANCHI-834010 (JHARKHAND)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

(ISO 9001 :2008 Certified)

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

Phone & Fax : 0651-2261919, 2260048

(E-mail : mh-ranchi@esic.nic.in)

पार्किंग व्यवस्था बाबत निविदाका आमंत्रण का वर्ष 2013 - 14

निविदा के लिए सामान्य निर्देश :

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची द्वारा इस अस्पताल परिसर में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बाबत तीन वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता एजेंसियों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, संतोषपूर्ण सेवाएं पाए जाने पर निविदा की अवधि एक साल तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है . निविदा फॉर्म के साथ अमानत राशि/ अग्रिम धन/ बयाना (अर्नेस्ट मनी) के रूप में राशि रु. 3500/- का डिमांड ड्राफ्ट, जो "ई एस आई फण्ड अकाउंट नं. 1 के नाम से जारी एवं राँची पर देय हो किंतु निविदा जारी होने के पूर्व का जारी किया हुआ न हो", संलग्न किया जाना आवश्यक है .
2. निविदा फॉर्म, निर्धारित शुल्क राशि रु. 100/- "ई एस आई फंड सं. 1" के पक्ष में एस बी आई, नामकुम, राँची शाखा में देय डी डी के रूप में जमा करने पर, दिनांक 05.01.2015 तक, सुबह 10.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक (शनिवार प्रातः 10.00 बजे से 12.30 बजे) की अवधि किसी भी कार्यदिवस (सोमवार से शनिवार) में प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा हमारे वेबसाइट www.esicjarkhand.org या www.esic.nic.in से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर निविदा फॉर्म की शुल्क राशि रु. 100/- अग्रिमधन (अर्नेस्ट मनी) रु. 3500/- में शामिल करते हुए कुल राशि रु. 3500/- का डिमांड ड्राफ्ट, जो "ई एस आई फण्ड अकाउंट नं. 1 के नाम से जारी एवं राँची पर देय हो" संलग्न करते हुए भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है .
3. निविदा के साथ वांछित अग्रिम राशि एवं सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक है .
4. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06.01.2015 (दोपहर 01.00 बजे तक) है .
5. निविदाएं दिनांक 06.01.2015 को ही अपराह्न 02.30 बजे चिकित्सा अधीक्षक महोदय के कक्ष में उपस्थित रहने वाले निविदा दाताओं के सक्षम खोली जाएगी
6. अपूर्ण निविदा फॉर्म, बिना वांछित दस्तावेज, बिना अग्रिम धन एवं शर्त प्रस्तुत किये गए निविदा फॉर्म सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा . निविदा के सभी पृष्ठ निविदा दाता की मोहर सहित हस्ताक्षरित होनी चाहिए .
7. चिकित्सालय में पार्किंग हेतु भवन के सामने खुला स्थान तथा वाईस के सामने खुला स्थान निर्धारित होगा तथा उक्त स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जायेगी . निविदा दाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा में भाग लेने से पूर्व, पार्किंग हेतु निर्धारित खुले स्थान का स्वयं अवलोकन कर लें, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे .
8. किसी निविदा को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का, चिकित्सा अधीक्षक महोदय का अधिकार सुरक्षित रहेगा .

संलग्न: निविदा फॉर्म एवं निविदा की सेवा शर्तें .

चिकित्सा अधीक्षक

क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची में पार्किंग व्यवस्था बाबत निविदा आमंत्रण
वर्ष - 2013-14

निविदा फॉर्म सं.:

निविदा शुल्क राशि रु. 100/-

क - फर्म विवरण		
1	निविदा दाता फर्म / कंपनी का नाम	
2	निविदा दाता फर्म के मालिक / प्रोप्राइटर / निदेशक का नाम	
3	प्रोप्राइटर / मालिक / निदेशक का स्थाई अवासीय पता	
4	फर्म का पूर्ण पता	
5	फर्म का टेलीफोन नं., फैक्स नं., एवं ई-मेल पता	
ख- फर्म के बैंक खाते का विवरण		
1	बैंक का नाम खाता संख्या	
2	बैंक का पता	
3	बैंक का कोड व IFSC, MICR No.	
4	बैंक का टेलीफोन नं., फैक्स नं., एवं ई-मेल पता	
ग		
1	PAN / GIR No. (आयकर अधिनियम के तहत जारी स्थाई खाता संख्या)*	*उक्त सभी से सम्बंधित पत्रों की छाया प्रति संलग्न करें
2	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं.	
3	ESI & PF वांछनीय	
घ - जमा कराई गई अग्रिम धन (अर्नेस्ट मनी) विवरण		
1	डी डी नं. एवं दिनांक	*उक्त सभी से सम्बंधित पत्रों की मूल प्रति संलग्न करें
2	राशि रु.	
3	जारी कर्ता बैंक	
4	डी डी वैधता तिथि	
ड - आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले अन्य प्रपत्र		
1	पिछले एक वर्षों का कार्य अनुभव सम्बंधी प्रमाण (यह एक अनिवार्य नहीं बल्कि वांछनीय माप दंड है, जिसे प्राथमिकता दी जाएगी)	
2	निविदा दाता को लागू सभी श्रम कानून एवं सांविधिक देयताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है	

लगातार.....

3	निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली मासिक किराया		
---	---------------------------------------------------------	--	--

	टिपणी	अंकों में (रु.) मासिक किराया राशि	शब्दों में (रु.) मासिक किराया राशि
1	न्यूनतम मासिक पार्किंग किराया राशि रु. 2000/- निर्धारित है . निविदा दाता द्वारा न्यूनतम राशि रु. 2000/- (मासिक) से अधिक प्रस्तावित करनी होगी .		

*प्रस्तावित की जाने वाली दरें, अंकों एवं शब्दों दोनों में दी जानी आवश्यक है .

स्थान:

दिनांक:

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची में पार्किंग व्यवस्था बाबत निविदा आमंत्रण

वर्ष - 2013-14

घोषणा पत्र

1. मैं पुत्र / पुत्री श्री
..... मालिक/ प्रोप्राईटर/ निदेशक/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैं उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतुसक्षम व्यक्ति हूँ .
2. मैं निविदा फॉर्म में दिए गए सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया हूँ तथा उक्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने की सहमति प्रदान करता हूँ .
3. उपर्युक्त निविदा फॉर्म के साथ दी गई सूचना एवं संलग्न किये गए दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है . कोई भी असत्य पाई गई सूचना या जाली/ गलत दस्तावेज मेरी निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने के लिए पर्याप्त कारण होंगे तथा उक्त हेतु मैं संवैधानिक उपबंधों के अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु भी उत्तरदायी रहूंगा .

स्थान:

दिनांक:

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

नोट: उक्त घोषणा को तकनिकि निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है .

**पार्किंग व्यवस्था वर्ष - 2013-14 हेतु आमंत्रित निविदा की
सेवा-शर्तें कार्य - विवरण**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची द्वारा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता एजेंसियों से इस चिकित्सालय में पार्किंग व्यवस्था हेतु वर्ष 2014-15 के लिए, सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं . कार्य की सेवा शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. निविदा (ठेके) की अवधि अनुबंध होनेकी तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी . जिसे अनुबंध में प्रावधाननुसार, ठेकेदार द्वारा उन्हीं सेवा-शर्तों एवं संतोषजनक कार्य करने की सहमति एवं चिकित्सा अधीक्षक महोदय के अनुमोदन पर, आगामी एक वर्ष की अवधि हेतु और बढ़ाया जा सकता है . सेवा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुबंध, एक महीने की अग्रिम सूचना पर बीच में कभी भी समाप्त किया जा सकता है .
2. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/ सामग्री संलग्न की जानी आवश्यक है:
क. अर्नेस्ट मनी सम्बंधी राशिरू. 3500/- का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक .
ख. निविदा फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज, सूचना तथा घोषणा-पत्र संलग्न करें .
3. निविदाएं सीलबंद लिफाफा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिस पर "पार्किंग व्यवस्था के लिए निविदा वर्ष 2014-15" लिखा जाना चाहिए तथा चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची को सम्बोधित होना चाहिए . निविदा दिनांक 06.01.2015 को दोपहर 01.00 बजे तक इस कार्यालय के टेंडर बॉक्स में डाल दिया जाना चाहिए . उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकर नहींकी जाएगी एवं इस सम्बंध में कोई तथ्य स्वीकार्य नहीं होगा .
4. निविदा देने वालों को निविदा में अपने भाव (दरें) लिखते समय निविदा की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए . निविदा दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ साथ अंकों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए .
5. चिकित्सालय में पार्किंग हेतु भवन के सामने खुला स्थान तथा वाईस के सामने खुला स्थान निर्धारित होगा तथा उक्त स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पार्किंग की अनुमती नहीं दी जाएगी . निविदा दातओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा में भाग लेने से पूर्व, पार्किंग हेतु निर्धारित खुले स्थान का स्वयं अवलोकन कर लें, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे .
6. इच्छुक व्यक्ति/ ठेकेदार को विहित निविदा प्रपत्र उचित रूप से भरकर, अर्नेस्ट मनी राशि रुपये 3500/- 'ई.एस.आई.सी. फण्ड खाता संख्या 01 मॉडल चिकित्सालय, नामकुम, राँची के नाम से बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक से सथ निर्धारित तिथि एवं समय अर्थात दिनांक 06.01.2015 समय दोपहर 01.00 बजे तक चिकित्सालय के कार्यालय में टेंडर बॉक्स में जमा करनी होगी . नगद राशि जमा करने की स्थिति में रोकड़िया से प्राप्त रसीद संख्या एवं दिनांक निविदा प्रपत्र में लिखे लिफाफे के ऊपर "व्यवस्था के अनुबंध के लिए अंकित करें .
7. निविदा कार (जिसकी) निविदा स्वीकृत होगी, को ठेके के सफल क्रियावयन हेतु प्रतिभूति राशि के रूप में राशि रुपये 7000/- अक्षर रू. सात हजार मात्र जमा करने होंगे . निविदा फॉर्म के साथ जमा, अमानतराशि, निविदादाता की प्रार्थना पत्र पर प्रतिभूति राशि के पेटे समायोजित की जा सकेगी .
8. सफल निविदा दाता की अनुमोदित मासिक दर के अनुसार, कुल वार्षिक राशि की, 25% राशि, प्रत्येक तिमाही हेतु, अग्रिम रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी . प्रथम तिमाही को किराया राशि, निविदा अवाई किए जाने के 07 दिवस में जमा करनी होगी, जो जमा सिक्क्यूरीटी राशि के अतिरिक्त होगी

9. न्यूनतम मासिक पार्किंग किराया राशि रु. 2000/- निर्धारित है निविदा दाता द्वारा न्यूनतम राशि रु. 2000/- (मासिक) से अधिक प्रस्तावित करनी होगी .
10. बिना अमानत राशि, सशर्त एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी .
11. उपयुक्त शर्त 07 एवं 08 के अनुसार प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम किराया राशि निर्धारित समय तक जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी .
12. सफल निविदा दाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने के पश्चात यदि निर्धारित समय सीमा में तीन माह की अग्रिम किराया राशि नहीं जमा करायी जाती है तो अमानत राशि के साथ-साथ प्रतिभूति राशि भी बिना कोई नोटिस के जब्त की जा सकेगी .
13. शर्त संख्या 06, 07 एवं 08 के अनुसार राशियां जमा हो जाने पर, अनुमोदन ठेकेदार (निविदा दाता) को कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी होने की तिथि से 5 दिवस के अंदर ठेका प्रारम्भ करना आवश्यक है . साथ ही निविदा शर्तों के पालन हेतु एक अनुबंध रूपये 100/- मात्र के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसका क्रय करने एवं अन्य सम्बंधित खर्चों को ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा .
14. सफल (अनुमोदित) निविदा दाता द्वारा शर्त संख्या 11 एवं 12 के अनुसार अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने की स्थिति में ठेका क्रमशः अगली अधिकतम निविदा राशि उद्धृत करने वाले निविदा दाता को दिया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में ऐसे अनुमोदित ठेकेदार को शर्त संख्या 07 एवं 08 के अनुसार प्रतिभूति एवं अग्रिम किराया राशि पाच दिवस के अंदर जमा करानी होगी . यदि वह निर्धारित समय तक राशि नहीं जमा करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसके सम्बंध में भी उपर्युक्त शर्तनुसार कार्यवाही की जा सकेगी .
15. सफल निविदादाता की अमानत राशि ठेके की संविदा लिखने की तिथि से एक माह के अंदर लौटा दी जाएगी .
16. अधिकृत ठेकेदार कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची के पार्किंग व्यवस्था अनुबंध को न तो किसी को बेचेगा और ना ही किसी को हस्तांतरित कर सकेगा .
17. चिकित्सालय परिधि में, निर्धारित पार्किंग स्टैंड पर ही दोपहिया / चौपहिया वाहन रखने की व्यवस्था होगी इसमें परिवर्तन / परिवर्धन करने का अधिकार चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची को होगा .
18. दोपहिया / चौपहिया वाहन स्टैंड पर रखे गए वाहनों की पार्किंग दरें अधिकृत ठेकेदार/ एजेंसी निम्न प्रकार से वसूल करेंगे :

विवरण	प्रथम 5 घंटे के लिए शुल्क (रु.)	प्रथम 5 से 12 घंटे के लिए अतिरिक्त शुल्क (रु.)	प्रथम 12 से 24 घंटे के लिए अतिरिक्त शुल्क (रु.)
प्रति साइकिल	02.00	03.00 (2+3=5)	05.00 (02+3+6=10)
प्रति मोटर साइकिल / स्कूटर	05.00	05.00 (05+05=10)	05.00 (5+5+5=15)
प्रति कार / चौपहिया वाहन	10.00	20.00 (10+20=30)	30.00 (10+20+30=60)

उक्त दरों से ज्यादाराशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होने पर ठेका रद्द कर दिया जा सकता है एवं जमा राशि जब्त कर ली जा सकती है .

19. ठेके की अवधि समाप्त होने पर अगला ठेका अन्य किसी पार्टी के हक में स्वीकृत नहीं होने तक अथवा तीन माह जो भी पहले हो, ठेका बढ़ाये जाने का अधिकार चिकित्सा अधीक्षक को होगा तथा अधिकृत ठेकेदार को स्वीकृत शर्तों एवं दर से ही राशि अग्रिम जमा करनी होगी . इस प्रकार बढ़ाये गये ठेके को, बढ़ाई गई अवधि में कभी भी समाप्त करने का अधिकार होगा .
20. सफल ठेकेदार द्वारा, उपरोक्त कॉलम 19 अनुसार अनुमोदित दरों सम्बंधी, अपने खर्चों पर कूपन छपवाने होंगे तथा, एक प्रति वाहन मालिक को देनी होगी . दूसरी प्रति अपने रिकॉर्ड में रखनी होगी तथा चिकित्सालय प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर, उपलब्ध करानी होगी .
21. चिकित्सालय में कार्यरत समस्त अधिकारी /कर्मचारी एवं अन्य विभागों से डाक लाने वाले कर्मचारियों के वाहन निःशुल्क रखे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी .
22. निश्चित साईकिल स्टैंड के अतिरिक्त चिकित्सालय परिधि से अन्य स्थानों पर खड़े वाहन को उठाकर लाने के लिए ठेकेदार अधिकृत होगा एवं वाहनों की स्वीकृत पार्किंग दर से दुगुनी राशि वसूल करने के लिये अधिकृत होगा .
23. निश्चित ठेकेदार को पार्किंग स्टैंड पर स्वीकृत पार्किंग दरें एवं स्टैंड खोलने / बंद करने का समय, अपने खर्च से लिखकर लगाना होगा .
24. कोई भी वाहन, पार्किंग स्टैंड से चोरी हो जाने पर या नुकसान होने पर अधिकृत ठेकेदार को उसकी पूरी कीमत एक मुहत्त वहन करनी होगी . मोटर साईकिल / वाहन चोरी होने अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्राहक (वाहन मालिक) को हुए समस्त नुकसान की भरपाई की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी . इस बाबत उत्पन्न विवाद की वैधानिक जिम्मेदारी भी उसी की होगी
25. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची द्वारा जारी निर्देशों का समय-समय पर अधिकृत ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा .
26. अनुमोदित ठेकेदार द्वारा आने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा सभी आने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा चिकित्सालय प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा .
27. कूपन के पीछे यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि साईकिल स्टैंड पर अथवा साईकिल अथवा दोपहिया वाहन न रखने की वजह से उठाकर लाई गई अथवा वाहन पार्किंग की राशि निर्धारित दर से दुगुनी राशि लगेगी .
28. प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिये निर्धारित दर से ज्यादा पार्किंग राशि नहीं ली जाएगी . निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने की शिकायत प्राप्त होनेके पश्चात ठेका समाप्त किया जा सकेगा तथा प्रतिभूतिराशिजब्त कर ली जाएगी.
29. अस्पतालमें भर्ती मरीजों के रिश्तेदार (अटेंडेंट) को सामान्यतः दिन में चार पांच बार दूध, चाय, खाना इत्यादि के लिये आना पड़ता है और उन्हें हर बार निर्धारित हद से किराया देने पर अत्यधिक खर्च करना पड़ताहै . अतः ठेकेदार अथवा कर्मचारी वाहन रखने वाले ऐसे व्यक्ति को सूचित करेंगे कि 12 घंटे व 24 घंटे की अधिकतम दर शर्त संख्या-18 के अनुसार होगी .
30. ठेकेदार को अपना स्थाई पता हेतु राशन-कार्ड + चुनाव आयोग परिचय पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड के साथ अन्य अतिरिक्त प्रमाणित दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रतियां देनी होगी .
31. वित्तीय स्थिति एवं अनुभव के प्रमाणन में निविदा दाता गत वर्षों की विवरण / पूर्व में लिये गये ठेकों के करार की छाया प्रति अथवा अन्य सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें .
32. अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा .

33. अनुबंध को शर्त का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, नामकुम, राँची द्वारा रुपये 500/- प्रत्येक उल्लंघन पर जुर्माना लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा। ठेकेदार को लागू सभी श्रम कानून एवं सांविधिक देयताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है।
34. चिकित्सा अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को, ठेकेदार द्वारा पार्किंग व्यवस्था के अनुबंध-अनुरूप कार्य किए जाने का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
35. इस साईकिल स्टैंड पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों (यदि कोई हो) के प्रति सभी लागू श्रम कानून एवं वैधानिक प्रावधानों जैसे - न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे, बोनस, ईपीएफ, ईएसआई अंशदान एवं अन्य सभी लागू विधियों के अनुपालनकी जिम्मेदारी ठेकेदारी होगी
36. सफल निविदा दाता द्वारा अपने कार्य के सुचारू संचालन हेतु नियोजित किए कर्मचारियों का सम्पूर्ण बायो-डाटा जैसे नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जाति, मूल-निवास, चरित्र इत्यादि के सत्यापित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे तथा ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए कर्मचारियों के व्यवहार हेतु, ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
37. समस्त कानूनी एवं अन्य विवाद का क्षेत्र राँची होगा।

चिकित्सा अधीक्षक

उक्त वर्णित क्र. सं. 1 से 37 तक की सेवा शर्तें मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

दिनांक:

स्थान:

निविदादाता के हस्ताक्षरमय
सील